

पत्रांक-02/सिरीज-14/2015 परि0 4496

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
सिवान।

पटना, दिनांक 05.09.17

विषय :- जिला परिवहन कार्यालय हेतु अस्थायी निबंधन सिरीज के आबंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1253, दिनांक-25.07.2017 के प्रसंग में कहना है कि जिला परिवहन कार्यालय हेतु अस्थायी निबंधन सिरीज **BHR29C** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू अस्थायी निबंधन सिरीज **BHR29B** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नई सिरीज के अतंगत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि आपके जिले में निबंधित डीलर प्वाइंट की सूची (नाम, पता, ऑथराइजेशन नं0 एवं उनका दूरभाष सं0) विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आपके कार्यालय को निबंधन संख्या का आबंटन रोक दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वसुभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।